

1491
11/11/08

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री अनिल संत, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
प्रार्थी :- सर्वश्री डायरेक्टर जनरल आफ सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल, जीवनतारा बिल्डिंग,
5, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
प्रा०प०सं०:- 388 / 2008
प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

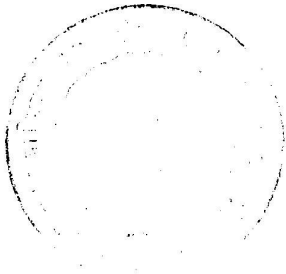
- 1- प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17-10-2008 को प्रस्तुत किया गया जिसमें Sleeping bags, Tent & Tarpaulins पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।
- 2- धारा 59 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।
- 3- शिड्यूल -2 पार्ट-ए के क्रमांक -121 पर निम्न प्रविष्टि है :-
" Tarpaulin "
अतः Tarpaulin पर 4% की दर से करदेयता है। सर्वश्री लघू उद्योग भारती, 59 इण्डस्ट्रियल स्टेट, कालपी रोड, कानपुर प्रार्थना पत्र संख्या- 396 /08 में कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा धारा- 59 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 11.11.08 में टैक्सटाइल्स से निर्मित टेन्ट पर 4% की दर से करदेयता, टैक्सटाइल से भिन्न वस्तु से निर्मित टेन्ट पर 12.5% की दर से व Sleeping bags पर 12.5% की दर से करदेयता निर्धारित की जा चुकी है। अतः टैक्सटाइल्स से निर्मित टेन्ट पर 4%, टैक्सटाइल्स से भिन्न वस्तु से निर्मित टेन्ट पर 12.5%, व Sleeping bags पर 12.5% की दर से करदेयता है।
- 4- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।
- 5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक:: नवम्बर 11, 2008

ह० 11-11-2008

(अनिल संत)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।



प्रतिपि
वाणिज्य कर, लखनऊ